



पंजीकरण अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में सूचना

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की 'ओबरी योजना, बाराबंकी' में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 45/60 (जी+1), सेक्टर-5 में भूतल-37 नग एवं प्रथम तल-37 नग, 78/121 (जी+1), सेक्टर-2 में भूतल-07 नग एवं प्रथम तल-07 नग तथा 18/40 दुर्बल आय वर्ग सेक्टर-4 में 21 नग भवनों का पंजीकरण दिनांक 03.10.2016 से 15.11.2016 तक खोला गया था। पंजीकरण की अवधि दिनांक 15.12.2016 तक बढ़ायी जाती है। शेष नियम व शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

आवास आयुक्त